4/3/2022	पत्रावली पेश हुई। अधि० वादी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 6 नियम 17 CPC पेश कर सहवन से वाद में दुरा नम्बर जोड़कर संशोधित वाद पेश करने की अनुमति चाही, अनुमति प्रदान की गई। तदनुसार संशोधित वाद पेश किया गया। दिनांक 2/2/2022 को जवाब सरकार प्राप्त हो चुका है। मुताबिक जवाब सरकार पत्रावली / वाद स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।	वाद स्वीकार है TDR [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramawtar Meena
Date: 2024.10.15 12:33:50 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय बइजलास सुश्री अंजना सहरावत (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी सांगोद जिला

कोटा

प्रकरण संख्या : 4 / 2022 तारीख दायरा 12.01.2022

उनवान

1. धनराज सुमन पुत्र बाबूलाल जाति माली निवासी नयापुरा तहसील सांगोद जिला कोटा।
2. रमेशचन्द्र पुत्र बाबूलाल जाति माली निवासी नयापुरा तहसील सांगोद जिला कोटा।
3. निर्मला बाई सुमन पुत्री बाबूलाल पत्नि महेन्द्र कुमार सुमन जाति माली निवासी नयापुरा तहसील सांगोद जिला कोटा राज हाल बडाय बिलेण्डी तहसील छीपाबडोद जिला बांरा राज।
4. कान्ती आयु 25 वर्ष पुत्री बाबूलाल पत्नि महेन्द्र सुमन जाति माली निवासी नयापुरा तहसील सांगोद जिला कोटा हाल निवसी नयापुरा तहसील सांगोद जिला कोटा राज — वादीगण

बनाम

राज्य सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार साहब सांगोद। — प्रतिवादी

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 209 आर. टी. एक्ट

उपस्थित :–

श्री मोहन लाल पोटर (वकील वादी) दिनांक :– 12.03.2022

श्री सरकार पैरोकार

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramawtar Meena
Date: 2024.10.15 12:33:50 IST
Reason: SelfAttested

—निर्णय—

उपखण्ड मजिस्टेट
सांगोद (कोटा)

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण द्वारा एक वाद पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया है कि वादीगण के संयुक्त खाते एवं कब्जे काश्त की आराजी माल ग्राम नयापुरा पटवार हलका कमोलर तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान की खाता संख्या नई 87 पुरानी 83 ख.न. 307/787 की 0.71 है., ख.न. 552/792 की 0.26 है. कुल किता 2 की 0.97 हैक्टर व खाता संख्या 132 नई 128 पुरानी की ख.न. 159 की 0.11 है., ख.न. 165 की 0.03 है., ख.न. 173 की 0.02 है., ख.न. 176 की 0.01 है., ख.न. 180 की 0.02 है., ख.न. 182 की 0.19 है., ख.न. 184 की 0.18 है., ख.न. 190 की 0.10 है., ख.न. 191 की 0.08 है., ख.न. 192 की 0.07 है., ख.न. 193 की 0.12 है., ख.न. 194 की 0.14 है., ख.न. 203 की 0.09 है. कुल किता 13 की कुल 1.16 है. आराजी स्थित है। उक्त वर्णित आराजी में वादी नं. 1 का नाम अधिकार अभिलेख में वादी के पिता की मृत्यु होने पर फौती इन्तकाल दर्ज होने पर पटवार हलका द्वारा वादी का गांव में बोलने वाला नाम धन्नालाल ही दर्ज कर दिया जो आज दर्ज है जबकि वादी नं. 1 का आधार कार्ड, जन आधार, विद्यालय रेकार्ड, बैंक पास बुक इत्यादि सभी दस्तावेजात में धनराज सुमन पुत्र बाबूलाल जाति माली निवासी नयापुरा तहसील सांगोद जिला कोटा दर्ज है।

वाद पत्र की मद नं. 1 में वर्णित आराजी में वादी नं. 2 का नाम अधिकार अभिलेख में वादी के पिता की मृत्यु होने पर फौती इन्तकाल दर्ज होने पर पटवार हलका द्वारा वादी का गांव में बोलने वाला नाम रमेश ही दर्ज कर दिया जो आज दर्ज है जबकि वादी नं. 2 का आधार कार्ड, जन आधार, विद्यालय रेकार्ड, बैंक पास बुक इत्यादि सभी दस्तावेजात् में रमेशचन्द्र पुत्र बाब[illegible] माली निवासी नयापुरा तह. सांगोद जिला कोटा दर्ज है। [illegible] आराजी में वादिनी नं. 3 का नाम अधिकार अभिलेख में वादी के पिता की मृ[illegible]ने पर फौती इन्तकाल दर्ज होने

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramawtar Meena
Date: 2024.10.15 12:33:50 IST
Reason: SelfAttested

पर पटवार हलका द्वारा वादिनी का गांव मे बोलने वाला नाम निहाल बाई ही दर्ज कर दिया जो आज दर्ज है जबकि वादिनी नं. 3 का आधार कार्ड, जन आधार, विद्यालय रेकार्ड, बैंक पास बुक इत्यादि सभी दस्तावेजात में निर्मला बाई सुगन पुत्री बाबूलाल जाति माली निवासी नयापुरा तहसील सांगोद जिला कोटा दर्ज है। विवादित आराजी में वादिनी नं. 4 का नाम अधिकार अभिलेख में वादी के पिता की मृत्यु होने पर फौती इन्तकाल दर्ज होने पर पटवार हलका द्वारा वादिनी का गांव में बोलने वाला नाम रामनाथी दर्ज कर दिया जो आज दर्ज है जबकि वादी नं. 4 का आधार कार्ड, जन आधार, विद्यालय रेकार्ड, बैंक पास बुक इत्यादि सभी दस्तावेजात में कान्ती पुत्री बाबूलाल जाति माली निवासी नयापुरा तहसील सांगोद जिला कोटा दर्ज है। सभी वादीगण का नाम वाद पत्र में आधार या अन्य रेकार्ड अनुसार 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हैं तथा वादीगण ने प्रतिवादी को बालिग होने के दस्तावेज देने पर भी बालिग दर्ज नहीं किया है। वादीगण के ही दो नाम गांव में बोलने वाला नाम व रेकाडेर्ड नाम हैं लेकिन दो अलग–अलग व्यक्ति नहीं होकर एक ही व्यक्ति हैं, वादीगण के अलावा ओर कोई व्यक्ति उक्त खाते व नाम का नहीं है।

वाद पत्र की आराजी में से भूमि अवाप्ति अधिकारी परवन वृहद सिंचाई परियोजना की नहर के लिए भूमि को अवाप्त किया जा कर वादीगण को चैक जारी किये हैं जिनको वादीगण ने अपने बैंक के प्रबन्धक को बताने पर चैक को बैंक खाते के नाम जारी करवाने की कही। इस पर वादीगण भूमि अवाप्ति अधिकारी के पास गये तो उन्होंने खाते में नाम सही करवाने की कही। इसके बाद वादीगण ने प्रतिवादी से निवेदन किया लेकिन आज तक वादीगण का नाम सही नहीं किया गया है इस कारण से वादीगण को वाद पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होने पर यह वाद पत्र पेश किया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramawtar Meena
Date: 2024.10.15 12:33:50 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिवक्ता एडवोकेट
सांगोद (कोटा)

अतः वाद पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादीगण के [illegible] में व प्रतिवादी के विरूद्ध निम्न आशय की घोषणा कर डिक्री सादिर पारित फरमाई जावे :-

माल ग्राम नयापुरा पटवार हलका कमोलर तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान की खाता सख्या नई 87 पुरानी 83 ख.न. 307/787 की 0.71 है., ख.न. 552/792 की 0.26 है. कुल किता 2 की 0.97 हैक्टर व खाता संख्या 132 नई 128 पुरानी की ख.न. 159 की 0.11 है., ख.न. 165 की 0.03 है., ख.न. 173 की 0.02 है., ख.न. 176 की 0.01 है., ख.न. 180 की 0.02 है., ख.न. 182 की 0.19 है., ख.न. 184 की 0.18 है., ख.न. 190 की 0.10 है., ख.न. 191 की 0.08 है., ख.न. 192 की 0.07 है., ख.न. 193 की 0.12 है., ख.न. 194 की 0.14 है., ख.न. 203 की 0.09 है. कुल किता 13 की कुल 1.16 है. आराजी में दर्ज वादी नं. 1 का नाम धन्नालाल के स्थान पर धनराज सुमन, वादी नं. 2 का नाम रमेश के स्थान पर रमेश चन्द्र, वादी नं. 3 का नाम निहाल बाई के स्थान पर निर्मला बाई सुमन, वादी नं. 4 का रामनाथी बाई के स्थान पर कान्ती पुत्र/पुत्रियां बाबूलाल जाति माली निवासी नयापुरा तह सांगोद जिला कोटा दर्ज करने की कृपा करें एवं साथ ही नाबालिग की जगह बालिग दर्ज करे।

उक्त आशय का वाद प्रस्तुत होने पर वाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की तलबी की गई। उक्त पत्रावली दिनांक 12.3.2022 को राष्ट्रीय लोक अदालत में मुख्यालय उपखण्ड [illegible] उपस्थित होकर वाद पत्र को स्वीकार किया [illegible] में रिपोर्ट ली गई जिसने भी अपनी रिपोर्ट में वाद [illegible] किया है व वादीगण की प्रार्थना को उचित बताया। मैंने पत्रावली का अवलोकन [illegible]या, पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य, रिपोर्ट हलका पटवारी तथा जवाब प्रतिवादी से यह जाहिर होता है कि

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramawtar Meena
Date: 2024.10.15 12:33:50 IST
Reason: SelfAttested

उप[illegible] मजि[illegible]
सांगोद (कोटा)

वादीगण ने उनके वाद पत्र में जो कथन किये है वे सत्य है। ऐसी स्थिति में वादीगण का वाद स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होने से अंतिम रूप से स्वीकार कर डिक्री किया जाता है एवं आदेश दिये जाते है कि –

माल ग्राम नयापुरा पटवार हलका कमोलर तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान की खाता सख्या नई 87 पुरानी 83 ख.न. 307/787 की 0.71 है., ख. न. 552/792 की 0.26 है. कुल किता 2 की 0.97 हैक्टर व खाता संख्या 132 नई 128 पुरानी की ख.न. 159 की 0.11 है., ख.न. 165 की 0.03 है., ख.न. 173 की 0.02 है., ख. न. 176 की 0.01 है., ख.न. 180 की 0.02 है., ख.न. 182 की 0.19 है., ख.न. 184 की 0.18 है., ख.न. 190 की 0.10 है., ख.न. 191 की 0.08 है., ख.न. 192 की 0.07 है., ख. न. 193 की 0.12 है., ख.न. 194 की 0.14 है., ख.न. 203 की 0.09 है. कुल किता 13 की कुल 1.16 है. आराजी में दर्ज वादी नं. 1 का नाम धन्नालाल के स्थान पर धनराज सुमन, वादी नं. 2 का नाम रमेश के स्थान पर रमेश चन्द्र, वादी नं. 3 का नाम निहाल बाई के स्थान पर निर्मला बाई सुमन, वादी नं. 4 का रामनाथी बाई के स्थान पर कान्ती पुत्र/पुत्रियां बाबूलाल जाति माली निवासी नयापुरा तह सांगोद जिला कोटा दर्ज करने एवं साथ ही नाबालिग की जगह बालिग दर्ज किया जाकर इन्द्राज दुरस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। विवादित आराजी पर रहन भार होने की स्थिति में बैंक चार्ज प्रथम होने के कारण रहन भार यथावत रहेगा। डिक्री पर्चा पृथक से जारी किया जावें।

निर्णय आज दिनांक 12.03.2022 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramkawar Meena
Date: 2024.10.15 12:33:50 IST
Reason: SelfAttested

(अंजना सहरावत)
उपखण्ड अधिकारी सांगोद